**21/संख्या- 1702/बयालिस-2014-210(विविध)/2012**

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**खेल अनुभाग** **लखनऊ : दिनांक 06 अगस्त, 2014**

**विषय- जनपद रामपुर में क्रीड़ा संकुल (स्पोर्ट्स काम्पलेक्स) के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 240/नि0 रामपुर स्पोर्टस काम्प0/2013-14, दिनांक 07 जुलाई, 2014 द्वारा किये गये अनुरोध एवं शासनादेश संख्या- 22/बयालिस-2012-210(विविध)/2012, दिनांक 22 मार्च, 2013 तथा शासनादेश संख्या- 894/बयालिस-2012-210(विविध)/2012, दिनांक 10 अप्रैल, 2013, शासनादेश संख्या- 391/बयालिस-2012-210(विविध)/2012, दिनांक 03 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या- 622/बयालिस-2012-210(विविध)/2012, दिनांक 04 मार्च, 2014 तथा शासनादेश संख्या- 655/बयालिस-2012-210(विविध)/2012, दिनांक 11 मार्च, 2014 तथा शासनादेश संख्या- 1054/बयालिस-2014-210(विविध)/2012, दिनांक 28 अप्रैल, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष- 2014-15 में जनपद रामपुर में स्पोर्टस काम्पलेक्स के निर्माण हेतु 17.432 हे0 भूमि के क्रय हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख मे से अवशेष धनराशि रू0 200.00 लाख ( रू0 दो करोड़ मात्र ) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1)- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके जिलाधिकारी, रामपुर को भूमि क्रय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2014-15 में उपलब्ध परिव्यय एंव बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पूर्व में निर्गत उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेशों में वर्णित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु किसी अन्य स्रोत से धनराशि न तो स्वीकृत की गयी हो और न ही अन्य योजना से वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित हो।

(4)- उक्त स्वीकृत धनराशि लम्बे समय तक बैंक/डाकघर आदि में जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा नहीं रखी जायेगी।

**.....2/-**



http://shasanadesh.up.nic.in

(5)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एंव निर्माण संस्था की होगी। तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो जायें।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2014-15 में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 03 खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय- 49 जनपद रामपुर में स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण- 24- वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

( भुवनेश कुमार )
सचिव।

**संख्या- 1702(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, रामपुर।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी, रामपुर।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
8- नियोजन अनुभाग- 4
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in